

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, भिवाडी

प्रकरण संख्या 103/13...वर्ष 2013

श्रीमती निशि मेहरा पत्नी श्री एस.के. मेहरा, श्रीमती दीपिका मेहरा पत्नी श्री राजेश मेहरा एवं श्रीमती मालती मेहरा पत्नी श्री अजय मेहरा जाति पंजाबी पता 5 फ्लेग स्टॉप रोड सिविल लाईन दिल्ली

विषय : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ।

आदेश

दिनांक 25.9.13

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0)
तिजारा, अलवर	मिलकपुर गुर्जर	779	0.29
		780	0.30
		782	0.59
		925/829	1.116
		781	0.51
		783	1.64
		927/844	0.7957
		929/828	0.4250
		किता 08	5.6667 Hect.

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह है कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने नगर विकास न्यास, भिवाडी तहसीलदार की रिपोर्ट, स्थानीय प्राधिकारी (सचिव नगर विकास न्यास भिवाडी) की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है, जिसके अनुसार सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि न्यास को निःशुल्क समर्पित करने तथा 11 के0वी की लाईन को स्वयं के खर्चे पर स्थानान्तरित करवाने एवं आवेदित भूमि का आंशिक भाग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार मेला ग्राउण्ड हेतु आरक्षित होने के कारण भूमि आंशिक भाग का उपयोग मेला ग्राउण्ड में किया जायेगा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया है। आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के

अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि आवेदित भूमि में से मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 779, 780, 782, 925/829, 781, 783, 927/844, 929/828 कुल किता 08 कुल रकबा 5.6667 है0 में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय एवं आंशिक मेला ग्राउण्ड प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वासित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक अथवा आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25.9.13 को पारित किया गया।

sd-

प्राधिकृत अधिकारी

नगर विकास न्यास भिवाडी

दिनांक 25.9.13

क्रमांक : 812-14/13

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

1. सचिव, नगर विकास न्यास, भिवाडी।

2. नायब तहसीलदार टपूकड़ा को उपरोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरकर्ता को उसकी प्रति भेजने के लिए।

3. श्रीमती निशि मेहरा पत्नी श्री एस.के. मेहरा, श्रीमती दीपिका मेहरा पत्नी श्री राजेश मेहरा एवं श्रीमती मालती मेहरा पत्नी श्री अजय मेहरा जाति पंजाबी पता 5 फ्लेग स्टॉप रोड सिविल लाईन दिल्ली।

प्राधिकृत अधिकारी

नगर विकास न्यास भिवाडी

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण

प्रकरण संख्या ...01/18.....

वर्ष 2018

मैसर्स आशियाना हाउसिंग लि० पंजीकृत कार्यालय 11 जी, एवरेस्ट, 46/सी चौरंगी रोड कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री केशव सिंह निवासी 4 मंजिल, विलेज सैन्टर, अशियाना विलेज वसुन्धरा नगर भिवाडी

विषय : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ।

आदेश

दिनांक7.9.18.....

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

जिला एवं तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
अलवर तिजारा	मिलकपुर गुर्जर	930 / 828	4250 वर्गमीटर
		किता 01	4250 वर्गमीटर

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, मैमॉरेण्डम एण्ड आर्टिकल, सर्वेक्षण, एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह है कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने भि०ओ०वि०प्रा०, भिवाडी तहसीलदार की रिपोर्ट, स्थानीय प्राधिकारी, (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा भिवाडी), की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है, जिसके अनुसार आवेदक की भूमि पर पहुँच मार्ग पूर्व स्वीकृति परियोजना से उपलब्ध है। पूर्व स्वीकृत परियोजना से आवेदित भूमि का पुर्नगठन करने का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया है। अतः आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः आदेशित किया जाता है कि आवेदित भूमि जो कि ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा के खसरा नम्बर 930/828 कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 4250 वर्गमीटर स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय के लिए उपयोग करने हेतु निर्वासित किया जायेगा और इस



(Handwritten signature)



आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक अथवा आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा। अतः भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार ले-आउट/भवन मानचित्र स्वीकृति /आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार निष्पादित करावें।

आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 7.9.18 को पारित किया गया।



क्रमांक : 23-25/18

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अवगत की गयी-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण भिवाडी।
2. नायब तहसीलदार, टपूकड़ा जिला अलवर को उपरोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरकर्ता को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. मैसर्स आशियाना हाउसिंग लि0 पंजीकृत कार्यालय 11 जी, एवरेस्ट, 46/सी चौरंगी रोड कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री केशव सिंह निवासी 4 मंजिल, विलेज सैन्टर, अशियाना विलेज वसुन्धरा नगर भिवाडी

प्राधिकृत अधिकारी
भि0इं0वि0प्रा0भिवाडी



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान टाउनशिप पोलिसी
2010 के तहत जारी

Y 301083

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाड़ी पट्टा विलेख

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम,
2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह जून के 26 वे दिन नगर सुधार न्यास भिवाड़ी (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष मैसर्स आशियाना हाउसिंग लि0 पंजीकृत कार्यालय 5 एफ, एवरेस्ट, 46/सी, चौरंगी रोड, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल अधिकृत हस्ताक्षकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री केशव सिंह निवासी फ्लेट नम्बर बी/155, आशियाना गार्डन, भिवाड़ी, अलवर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) राजस्व ग्राम मिलकपुर गुर्जर खसरा नम्बर 779, 780, 781, 782, 783, 925/829, 927/844, 929/828 कुल किता 08 क्षेत्रफल 56667 वर्गमीटर भूमि में से तैयार / अनुमोदित साईट प्लान के अनुसार आवंटन योग्य क्षेत्रफल 48478.88 वर्ग मी0 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:-

For ASHIANA HOUSING LIMITED

सचिव

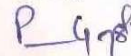
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

उप पंजीयक, भिवाड़ी

Authorised Signatory

KAILASH CHAND KUMAWAT/155-2003
A-21-22 Ganpati Plaza, Phool Bagh, Bhiwadi,
Teh. Tijara, Distt. Alwar (Rajasthan) -301019
Sr. No 3387 Dated 03.07.2015

M/s Ashiana Housing Limited
4th Floor, Village Centre, Vasundhara Nagar,
Bhiwadi, Teh. Tijara, Distt. Alwar (Rajasthan)
through of name : **Pankaj**
through documents purpose : Lease Deed / Patta


Purchaser

Stamp Seller
KAILASH CHAND KUMAWAT





राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान टूरनसिप पोलिसी
2010 के तहत जारी



- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 713,163/- / - अंकेन सात लाख तेरह हजार एक सौ तिरसठ अक्षर मात्र एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि का 8 गुणा जमा करा दिया गया है। नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। लीज धारक ने उक्त वर्णित नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर राशि रु. 5705,305 अंकेन सत्तर हजार पांच सौ अक्षर मात्र जर्ने रसीद संख्या 584/144 दिनांक 16-7-15 जमा करवा दिये है। अतः इस पेटे अब कोई राशि जमा करानी शेष नहीं है।

- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

For ASHIANA HOUSING LIMITED

उषा
सचिव

नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

OR

उप पंजीयक, भिवाड़ी

Signature

Authorised Signatory

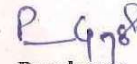
KAILASH CHAND KUMAWAT/155-2003
A-21 -22 Ganpati Plaza, Phool Bagh, Bhiwadi,
Teh. Tijara, Distt. Alwar (Rajasthan) -301019

Sr. No 3387 Dated 03.07.2015

M/s Ashiana Housing Limited
4th Floor, Village Centre, Vasundhara Nagar,
Bhiwadi, Teh. Tijara, Distt. Alwar (Rajasthan)

through of name : **Pankaj**

through documents purpose : Lease Deed / Patta


Purchaser

Stamp Seller

KAILASH CHAND KUMAWAT

आज दिनांक 22 माह July सन् 2015 को 16:59 बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री OM PRAKASH SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KESHAV SINGH

उम्र 39 वर्ष, जाति RAJPUT व्यवसाय PVT. SERVICE

निवासी FLAT NO.B-155 ASHIANA GARDEN BHIWADI

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।


हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2015004835)


हस्ताक्षर उप पंजीयक, BHIWADI
(Lease deed for local bodies (Patta))

रसीद नं० 2015004671 दिनांक 22/07/2015

पंजीयन शुल्क रू० 288320/-

प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/-

पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/-

अन्य शुल्क रू० 0/-

कमी स्टाम्प शुल्क रू० 1441090/-

सरचार्ज 144160/-

कुल योग रू० 1873870/-

प्रमाण पत्र
जारी 1873870-2 जय 2.0
नंबर 020388
F. 20-7-15
से जमा कि गई।
उप पंजीयक, भिवाड़ी


(2015004835) उप पंजीयक, BHIWADI
(Lease deed for local bodies (Patta))

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रुपये 28831686
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 1441090 पर कमी पंजीयन शुल्क
रुपये 288320 कुल रुपये 1873870
जरिये रसीद संख्या 2015004671 दिनांक 22/07/2015
में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रुपये 1441590
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।


(2015004835) उप पंजीयक, BHIWADI



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान स्टेशनरी पोलिसी
2010 के तहत जारी

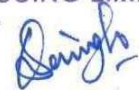
Y 301081
26 JUN 2010

3. पट्टे की अवधि :-पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन, सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय, भिवाड़ी को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।


सचिव

नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

For ASHIANA HOUSING LIMITED


Authorised Signatory

उप पंजीयक, भिवाड़ी

KAILASH CHAND KUMAWAT/155-2003
A-21 -22 Ganpati Plaza, Phool Bagh, Bhiwadi,
Teh. Tijara, Distt. Alwar (Rajasthan) -301019

Sr. No 3387 Dated 03.07.2015

M/s Ashiana Housing Limited

4th Floor, Village Centre, Vasundhara Nagar,
Bhiwadi, Teh. Tijara, Distt. Alwar (Rajasthan)

through of name : Pankaj

through documents purpose : Lease Deed / Patta

Purchaser

Stamp Seller

KAILASH CHAND KUMAWAT

हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1-M/S ASHIANA HOUSING LTD. THRO/ OM

PRAKASH SINGH/KESHAV SINGH

Age:39, Caste-RAJPUT

Ocu.-PVT. SERVICE

R/O-FLAT NO.B-155 ASHIANA GARDEN BHIWADI

(And Claimant)

1-UIT/UIT

Age:0, Caste-

Ocu.-

R/O-BHIWADI

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta)

को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशी रु0 28831686/- पूर्व में/मेरे

समक्ष/मे से रु0 28831686/-पूर्व में _____

यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री PANKAJ JOSHI

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री B.M. SHARMA उम्र 35 वर्ष

जाति BRAHMIN व्यवसाय SERVICE

निवासी FLAT NO.M-1248 ASHIANA AANGAN BHIWADI

2. श्री/श्रीमती/सुश्री NARENDER NATH GUPTA

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KEDAR NATH GUPTA उम्र 58 वर्ष

जाति GUPTA व्यवसाय SERVICE

निवासी FLAT NO.G-109 ASHIANA AANGAN BHIWADI ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2015004835)

उप पंजीयक, BHIWADI

(Lease deed for local bodies (Patta))



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान टाउनशिप पुलिस
2010 के तहत जारी

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।


सचिव
नगर विकास न्यास
मिवाड़ी (अलवर)

For ASHIANA HOUSING LIMITED


Authorised Signatory


उप पंजीयक, मिवाड़ी

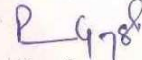
KAILASH CHAND KUMAWAT/155-2003
A-21 -22 Ganpati Plaza, Phool Bagh, Bhiwadi,
Teh. Tijara, Distt. Alwar (Rajasthan) -301019

Sr. No 3387 Dated 03.07.2015

M/s Ashiana Housing Limited
4th Floor, Village Centre, Vasundhara Nagar,
Bhiwadi, Teh. Tijara, Distt. Alwar (Rajasthan)

through of name : **Pankaj**

through documents purpose : Lease Deed / Patta


Purchaser

Stamp Seller
KAILASH CHAND KUMAWAT



आज दिनांक 22/07/2015 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 464

में पृष्ठ संख्या 28 क्रम संख्या 2015002373 पर

पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1601

के पृष्ठ संख्या 260 से 267 पर

चस्पा किया गया।


(2015004835) उप पंजीयक, BHIWADI
(Lease deed for local bodies (Patta))



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान टाउनसिप पोलिसी
2010 के तहत जारी
परिशिष्ट

26 JUN 2015 1079

करने का नाम : भिवाड़ी

राजस्व ग्राम : ग्राम मिलकपुर गुर्जर खसरा नम्बर 779, 780, 781, 782, 783, 925/829, 927/844, 929/828 क्षेत्रफल 48478.88 वर्गमीटर सीमा पूर्व: 30 मीटर चौड़ी सड़क (काली खोली मार्ग) पश्चिम : अन्य खातेदारी भूमि सीमा उत्तर : मैसर्स कैपिटल ग्रीनस आवासीय परियोजना सीमा दक्षिण अन्य खातेदारी भूमि, अनुमोदित साईट प्लान संलग्न है।

योजना का नाम : आवासीय (गुप्त हाउसिंग)

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 48478.88 वर्गमीटर

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2015 के माह के 22 वें दिन

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

Authorised Signatory

सचिव
नगर विकास न्यास भिवाड़ी
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

आशियाना हाउसिंग लि0
पंजीकृत कार्यालय 5 एफ, एवरेस्ट,
46/सी चौरंगी रोड कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह
पुत्र श्री केशव सिंह निवासी फ्लेट नम्बर बी/155,
आशियाना गार्डन भिवाड़ी (अलवर)

ने निम्न की उपस्थिति

में (भिवाड़ी) में हस्ताक्षर किये -

साक्षी :-

1. नाम पंकज जोशी पुत्र श्री लज्जामोहन अर्मा साक्षी P. G. 788
व्यवसाय प्रोड्यूसर नौकरी निवास स्थान फ्लेट नं 54-1248 आशियाना हाउसिंग, भिवाड़ी (अलवर)
2. नाम नरेन्द्रनाथ गुप्ता पुत्र श्री केशवनाथ गुप्ता साक्षी गुप्ता
व्यवसाय प्रोड्यूसर नौकरी निवास स्थान फ्लेट नं 6-109 आशियाना हाउसिंग (लावा भिवाड़ी (अलवर))
आज सन् 2015 के माह के 22 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में मैसर्स आशियाना हाउसिंग लि0 पंजीकृत कार्यालय 5, एफ, एवरेस्ट, 46/सी चौरंगी रोड कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री केशव सिंह निवासी फ्लेट नम्बर बी/155, आशियाना गार्डन भिवाड़ी (अलवर) लीजधारक - द्वितीय पक्ष

लीजधारक द्वारा कार्यालय उप पंजीयक भिवाड़ी में हस्ताक्षर किये गये।

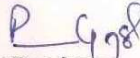
साक्षी :-

1. नाम पंकज जोशी पुत्र श्री लज्जामोहन अर्मा साक्षी P. G. 788
व्यवसाय प्रोड्यूसर नौकरी निवास स्थान फ्लेट नं 54-1248 आशियाना हाउसिंग, भिवाड़ी (अलवर)
2. नाम नरेन्द्रनाथ गुप्ता पुत्र श्री केशवनाथ गुप्ता साक्षी गुप्ता
व्यवसाय प्रोड्यूसर नौकरी निवास स्थान फ्लेट नं 6-109 आशियाना हाउसिंग (लावा भिवाड़ी (अलवर))

उप पंजीयक, भिवाड़ी

KAILASH CHAND KUMAWAT/155-2003
A-21 -22 Ganpati Plaza, Phool Bagh, Bhiwadi,
Teh. Tijara, Distt. Alwar (Rajasthan) -301019
Sr. No 3387 Dated 03.07.2015

M/s Ashiana Housing Limited
4th Floor, Village Centre, Vasundhara Nagar,
Bhiwadi, Teh. Tijara, Distt. Alwar (Rajasthan)
through of name : **Pankaj**
through documents purpose : Lease Deed / Patta


Purchaser

Stamp Seller:
KAILASH CHAND KUMAWAT





SCALE:-
1CM=20M



Note:-
धूमि में दो गुजर रही ॥ R.P विद्याल नाइने को ओबेचन स्वयं के
दोसरे घर ताम्बाका बरानाये अथवा इससे भुखरीत इवई छोडे।

APPROVED 11/25th L.P.C. MEETING DATED 10-04-2014
PROPOSED SITE PLAN FOR RESIDENTIAL GROUP HOUSING
AT KHASKA NO -779, 780, 782, 825 /829, 781, 783, 827 / 844, 829 /828 AT VILLAGE
MILKAPUR GUJJAR, TEH TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

- | | |
|---|------------------|
| PLOT FOR RESIDENTIAL | |
| 1. Total plot area as per survey plan | = 56.667.00 SqM. |
| 2. Total plot area as per revenue | = 53,325.66 SqM. |
| 3. Land Surrender in 30M wide road area | = 2295.17 SqM. |
| 4. Remaining plot area=53325.66 - 2295.17 | = 51030.39 SqM. |
| 5. 5% Area for Facilities | = 2551.51 SqM. |
| 6. Net Plot Area | = 48478.88 SqM. |

युजस्युन टारनसिप पॉलिसी

BUILDING PARAMETERS
 MINI-100 SET BACKS
 MAXIMUM COVERAGE = 55%
 STANDARD FAR = 1.33
 OTHER BUILDING PARAMETERS SHOULD BE
 AS PER GREATER BHWADI BUILDING BYE
 LAWS-2013

डिप्टी
सचिव
भारत विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

**5% Facilities Area for
ULB'S**

७५
रीयक, भिवाड़ी

URBAN IMPROVEMENT TRUST, BHIWADI

TPA
U.I.T. BHIWADI

J.E.N.
U.I.T. BHIWADI

U.I.T. BHIWADI

PATWARI/TEHSILDER
U.T. BHIWADI

226
AEN / EXEN.

STP.

341
SECTY. 19

SECTY. 19

आज दिनांक 22/07/2015 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 464
में पृष्ठ संख्या 28 क्रम संख्या 2015002373 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1601
के पृष्ठ संख्या 260 से 267 पर
चस्पा किया गया।


(2015004835) उप पंजीयक, BHIWADI
(Lease deed for local bodies (Patta))



144



REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR

BHIWADI

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2015004671
Presenter Name : OM PRAKASH SINGH
Presenter Address : FLAT NO. B-155 ASHIANA GARDEN BHIWADI
Document Type : Lease deed for local bodies (Patta)
Claimant Name : UIT, BHIWADI
Document S.No. : 2015004835

Dated : 22/07/2015
Face Value : 28631686

Stamp Value : 500

Ordinary Registration Fee : 288320
Copy/Scanning/Inspection Fee : 300
Fee for Memorandum u/s 64-67 : 0
Certified Copying Fee u/s 57 : 0
Surcharge on Stamp Duty : 1441090
Late Fee u/s 25-34 : 0

Commission Fee : 0
Custody Fee : 0
Miscellaneous Fee : 0
Stamp Duty Cash : 1441090

TOTAL : 1873870

E-Stamp No : / Amount : 0

(Paid) - DD No. : 020389 / Amount : 1873870
DD Drawn Bank : RUPCO BANK / 20/07/2015

(Paid) - EGRAS GRN No. : / Amount : 0
Deposit Bank : / Date :

(Paid) - E-Stamp Id No. : / Amount : 0
E-Stamp Date :

(Paid) - E-Mitra Token No. : / Amount : 0
E-Mitra Token Date :

(Paid) - SHCIL Recept No. : / Amount : 0
SHCIL Recept Date :

(Paid) - Cash Recept No. : / Amount : 0
Date :

Amount Rs. Eighteen Lakh Seventy Three Thousand Eight Hundred Seventy only

Cashier

[Signature]
Sub Registrar, BHIWADI





भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का (टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत)

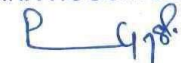
—: पट्टा विलेख :-

यह विलेख आज वर्ष 2019 के माह जुलाई के 18 वें दिन भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, (जिसे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं मैसर्स आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, चतुर्थ मंजिल विलेज सैन्टर, वसुन्धरा नगर भिवाडी जिला अलवर जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता श्री पंकज जोशी पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा (जिनको इसके बाद लीजधारक कहकर संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम राशि रु. 636827/-, विकास शुल्क व अन्य राशि जरिये चालान द्वारा और शेष अन्य प्रभार जिसकी रसीद प्राधिकरण के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर के खसरा नम्बर 930/828 कुल किता 01 क्षेत्रफल 4250 वर्गमीटर भूमि में से तैयार / अनुमोदित साईट प्लान के अनुसार आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ के लिए आवंटन योग्य क्षेत्रफल 3526.26 वर्गमीटर और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये साईट प्लान में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे विकास प्राधिकरण समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर वार्षिक लीज राशि 63683/- रु. का आठ गुणा राशि एक मुश्त लीज राशि रूपये 509462/- अक्षरे पाँच लाख नौ हजार चार सौ बासठ मात्र एक मुश्त जरिये रसीद संख्या 695/13 दिनांक 08.07.2019 जमा करा दी गई है के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि : पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजन, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसे प्रत्येक अन्तरण पर नियमानुसार अन्तरण शुल्क देय होगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

For ASHIANA HOUSING LTD.


Authorised Signatory


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भि.इ.वि.प्रा., भिवाडी

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्व भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और विकास प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

कस्बे/तहसील का नाम : तिजारा

पडौस

राजस्व ग्राम ~~मिहिरापुरा~~
खसरा नम्बर 930/828.

पूर्व : आवेदक की पूर्व स्वीकृत परियोजना पश्चिम :
खातेदारी भूमि उत्तर : आवेदक की पूर्व स्वीकृत परियोजना

योजना का नाम आवासीय (गुप्त हाउसिंग)
प्रयोजनार्थ विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल
वर्गगज/मीटर

दक्षिण : आवेदक की पूर्व स्वीकृत परियोजना साईट प्लान
है।

संलग्न साईट प्लान अनुसार 3526.26 वर्गमीटर

नोट : इस भूखण्ड की पंजीकृत राशि 25,47,309/- होती है। अतएव स्टाम्प राशि 50-50 के कुल रु 100/- के स्टाम्प नम्बर के एई 056737 एवं एई 056738 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

प्राधिकरण की ओर से

आज सन् 2019 के माह जुलाई के 18 वें दिन
श्री पुष्कर राज शर्मा ने निम्न की उपस्थिति में
(स्थान) में हस्ताक्षर किये-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भिवाडी इन्डियन प्रोपर्टी निगम लि. - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूराम
पुत्र श्री चौथी प्रसाद
व्यवसाय : बरिड लिपिक, BIDA, साक्षी
Bhiwadi

2. नाम श्री कालीचरण शर्मा,
पुत्र स्वर्गीय श्री वर्तुभुज शर्मा
व्यवसाय : मुशी, BIDA, Bhiwadi साक्षी

आज सन् 2019 के माह जुलाई के 18 वे दिन
को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त

मैसर्स आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, चतुर्थ
मंजिल विलेज सेंटर, वसुन्धरा नगर भिवाडी
जिला अलवर जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता श्री
पंकज जोशी पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा
लीजधारक द्वारा कार्यालय बीडा, भिवाडी में
हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-

1. नाम : श्री सोनू शर्मा
पुत्र श्री रामअवतार शर्मा
व्यवसाय : नोकरी साक्षी
निवास : ग्राम बिरनवास तहसील
कोटकासिम, अलवर

1. नाम : श्री नरेन्द्र नाथ गुप्ता
पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ गुप्ता
व्यवसाय : नौकरी साक्षी
निवास : जी-109, आशियाना आंगन (लाजा) भिवाडी (अलवर)

For ASHIANA HOUSING LTD.

Authorised Signatory

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

निर्जन कुमार कौशिक स्टाप विक्रेता बिवाही सा. 18/7/19

रखि० क्रमांक 10/0 किमत 50/-

गाम साहिबगंगा फाउण्डेशन लि०

जमिनी 100

बड़े 100

ह० केस

ह० विक्रेता
निर्जन कुमार कौशिक
स्टाप विक्रेता बिवाही

50X2=100/-

राजस्थान स्टाप अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत इलाक़ा रहसि पर प्रमाणित अधिभार
1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (ब्याज 3-क) 10% ठाणे 5
2. गांव और उसकी नाल के उद्धार और रखरखाव हेतु (ब्याज 3-क) 10% ठाणे 5
कुल योग 10/- रखरखाव स्टाप केन्द्र

राजस्थान स्टाप अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत
इलाक़ा रहसि पर प्रमाणित अधिभार
गाम साहिबगंगा फाउण्डेशन लि०
जमिनी 100
बड़े 100
ह० केस

भारतीय गैर न्यायिक



राजस्थान RAJASTHAN

AE 056738

श्रीवाही इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा)

नोट:- स्टाम्प सं० ५६७३८, दिनांक १४-७-१९

राशि ५६७३८ भूखण्ड/मकान/दुकान सं० ९९०/४८७७८

निरंजन कुमार कौशिक स्वल्प विक्रेता बिवाडी ला० नं०-185/04
रजि० क्रमांक-1040 किमत-50/- दिनांक-18/4/19

नाम-माहिद्याल काउन्सिलर
जति-माहिद्याल काउन्सिलर
वर्ग-माहिद्याल काउन्सिलर
माहिद्याल काउन्सिलर
माहिद्याल काउन्सिलर

ह० विक्रेता
निरंजन कुमार कौशिक
स्वल्प विक्रेता बिवाडी

राजस्थान स्वल्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्वल्प राशि पर प्रमाणित अधिभार
1. आधारभूत आवश्यकता सुविधाओं हेतु (भागा 3-का-10% रुपये)
2. मादा और उसकी बाल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (भागा 3-का-10% रुपये)
कुल योग 10/- स्वल्पाक्षर स्टाम्प केन्द्र

सेवा में,

श्रीमान् सचिव महोदय,
नगर विकास न्यास,
भिवाडी (अलवर)।

विषय:- खसरा नम्बर 779 से 783, 925/829, 927/844 व 929/828 कुल किता 08 रकबा 5.6667 हैक्टेयर वाके राजस्व ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा स्थित आवासीय भूमि का एकल पट्टा जारी करने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नम्बर 779 से 783, 925/829, 927/844 व 929/828 कुल किता 08 में हमारी संयुक्त खातेदारी की 5.6667 हैक्टेयर क्षेत्रफल भूमि है जिसका नगर विकास न्यास भिवाडी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु प्रकरण संख्या 103/13 में दिनांक 25.09.2013 को आदेश क्रमांक 812-14/13 के द्वारा अनुज्ञा प्रदान की जा चुकी है। न्यास द्वारा जारी 90-क के आदेश की सुलभ प्रति संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। उक्त भूमि हमारे द्वारा भू - राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन नगर विकास न्यास को समर्पित की जा चुकी है व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नगर विकास न्यास भिवाडी की खातेदारी में आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज है।

अब हम संयुक्त रूप से उक्त भूमि के भू-आवंटन हेतु राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 (Policy for Residential Group Housing and other schemes in the private sector, 2010) (Up to 10 Hectares) के प्रावधान 12; राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की अनुज्ञा और भूमि का आवंटन) के नियम 11 (3) व 19 (1) एवम् नगरीय विकास, आवास एवम् स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 3 (178) नविवि 3/2012 दिनांक 09.04.2013 के तहत मैसर्स आशियाना हाउसिंग लि0 जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय - 5 एफ, एवरेस्ट, 46/सी चौरंगी रोड, कोलकाता व प्रधान कार्यालय- 304, सदन पार्क, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली है के पक्ष में उक्त भूमि का एकल पट्टा जारी करने के लिए हमारी ओर से नामिति के रूप में नामित करते हैं। इस हेतु हमारे द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित सहमति/शपथ-पत्र संलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त भूमि का एकल पट्टा एवम् मांग-पत्र हमारे नामिति मैसर्स आशियाना हाउसिंग लि0 के नाम जारी करने की कृपा करें।

सधन्यवाद

दिनांक :-06.07.2015

Nishu

भवदीय

निशि मेहरा पत्नी श्री एस. के मेहरा
Deepika mehra
दीपिका मेहरा पत्नी श्री राजेश मेहरा
Malti Mehra
मालती मेहरा पत्नी श्री अजय मेहरा

संलग्नक-

1. 90 -क आदेश की प्रति
2. सहमति /शपथ-पत्र





KAILASH CHAND KUMAWAT/155-2003

SR. No. 2718. Dated : 20.06.2015

श्रीमति निशि मेहरा पत्नि श्री एस० के० मेहरा
 श्रीमति दीपिका मेहरा पत्नि श्री राजेश मेहरा
 श्रीमति मालती मेहरा पत्नि श्री अजय मेहरा
 निवासी 5, फ्लेग स्टॉप रोड, सिविल लाईन्स, दिल्ली
 through of name : Mr. N.N. Gupta
 through documents purpose : Affidavit

[Signature]
 Purchase

Stamp Seller
 KAILASH CHAND KUMAWAT

सहमति / शपथ-पत्र

हम निशि मेहरा पत्नी श्री एस. के. मेहरा, दीपिका मेहरा पत्नी श्री राजेश मेहरा, एवम् मालती मेहरा पत्नी श्री अजय मेहरा जाति पंजाबी, समस्त निवासी 5 फ्लेग स्टॉप रोड, सिविल लाइन, दिल्ली यह संयुक्त रूप से शपथ पूर्वक बयान करते हुए सहमति प्रदान करते हैं कि:-

1. यह है कि राजस्व ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह० तिजारा के खसरा नम्बर 779 से 783, 925/829, 927/844 व 929/828 कुल किता 08 में हमारी संयुक्त खातेदारी की 5.6667 हैक्टेयर क्षेत्रफल भूमि है।
2. यह है कि उक्त भूमि का हमारे द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि से आवासीय उपयोग की अनुज्ञा हेतु आवेदन किया गया जिसमें नगर विकास न्यास भिवाडी द्वारा प्रकरण संख्या 103/13 में दिनांक 25.09.2013 को आदेश क्रमांक 812-14/13 के द्वारा कृषि भूमि से गैर-कृषिक उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जा चुकी है।
3. यह है कि उक्त भूमि 90-क आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नगर विकास न्यास भिवाडी के नाम से आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज की जा चुकी है।
4. यह है कि उक्त भूमि के भू-आवंटन हेतु हम संयुक्त रूप से राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 (Policy for Residential Group Housing and other schemes in the private sector, 2010) (Up to 10 Hectares) के प्रावधान 12, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की अनुज्ञा और भूमि का आवंटन) के नियम 11 (3) व 19 (1) एवं नगरीय विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 3 (178) नविवि 3/2012 दिनांक 09.04.2013 के तहत **मैसर्स आशियाना हाउसिंग लि०** जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय-5 एफ एवरेस्ट, 46/ सी, चौरंगी रोड, कोलकाता व प्रधान कार्यालय-304, सदन पार्क, साकेत डिस्ट्रीक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली है के पक्ष में उक्त भूमि का एकल पट्टा जारी करने के लिए हमारी और से नामित के रूप में नामित करते हुए संयुक्त रूप से सहमति प्रदान करते हैं।
5. यह है कि उक्त भूमि का **मैसर्स आशियाना हाउसिंग लि०** के नाम पट्टा जारी होने के उपरान्त उक्त आराजी बाबत हमारा (जिसमें हमारे उत्तराधिकारी, वारिसान इत्यादि सम्मिलित हैं) नगर विकास न्यास भिवाडी से एवम् मैसर्स आशियाना हाउसिंग लि० से उक्त भूमि बाबत किसी भी प्रकार से हक, क्लेम दावा इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।

Nishi Mehra *Deepika Mehra* *Malti Mehra*
 (निशि मेहरा) (दीपिका मेहरा) (मालती मेहरा)

हस्ताक्षर
 (शपथकर्ता/सहमतिकर्ता)

सत्यापन

हम निशि मेहरा पत्नी श्री एस.के. मेहरा, दीपिका मेहरा पत्नी श्री राजेश मेहरा एवं मालती मेहरा पत्नी श्री अजय मेहरा एतद्वारा यह सत्यापित करती हैं कि उक्त शपथ पत्र का पैरा संख्या (1) से (5) तक हमारी निजी ज्ञान एवम् जानकारी के अनुसार सही व सत्य है। ईश्वर हमारी मदद करें।

Nishi Mehra *Deepika Mehra* *Malti Mehra*
 (निशि मेहरा) (दीपिका मेहरा) (मालती मेहरा)

हस्ताक्षर
 सत्यापनकर्ता